सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 53/2026 दर्ज दिनांक : 15.04.2026

1. भंवरलाल कस्वां पुत्र श्री अर्जुनराम कस्वां जाति जाट निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू(राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपस्थित अधिवक्ता
श्री सुरेन्द्र राहड़ वादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय :

वादी की ओर से दावा नीचे लिखेनुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि वादी की एकल खातेदारी की कृषि भूम खसरा नम्बर 1386/27 तादादी 4.1775 हैक्टेयर रोही ग्राम ढाढर जिसमें वादी का सम्पूर्ण हिस्सा है। वादगत कृषि भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से भंवरलाल पुत्र अर्जनराम दर्ज हो गया जबकि वास्तविक दस्तावेजी नाम भंवरलाल कस्वां पुत्र अर्जुनराम कस्वां जाति जाट है। भंरलाल के नाम के आगे कस्वां लगाना है तथा अर्जनराम के स्थान अर्जुनराम किया जाना है। जो कि वास्तविक है। प्रतिवादी के यहां दुरूस्त किये जाने से इन्कार किये जाने पर दिनांक 09.04.2026 को वादाधार प्राप्त हुआ है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि खेत खेत खसरा नम्बर 1386/27 तादादी 4.1775हैक्टेयर, कुल तिा 01 कुल तादादी 4.1775 हैक्टेयर वाके रोही ढाढर तहसील व जिला चूरू में खातेदार भंवरलाल पुत्र अर्जनराम जाति की जगह भंवरलाल कस्वां पुत्र अर्जुनराम कस्वां जाति जाट संशोधित किये जाने की घोषणा की जाकर डिक्री अनुसार अ[illegible] राजस्व रिकॉर्ड कराया जावें व अन्य अनुतोष हितकर वादी हो या जो [illegible] वादी प्रदान फरमाया जावें।
2. दावा न्यायालय के क्षेत्राधिका[illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये [illegible] तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उ[illegible] होकर जाहिर किया कि इस प्रकार से संशोधन से किसी प्रकार का राजहित प्रभावित होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:22 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

की संभावना नहीं है। जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबंदी खेत खसरा नम्बर 1386/27 रोही ग्राम ढाढर में वादी का नाम भंवरलाल पुत्र अर्जनराम अंकित है तथा दस्तावेजों अधार कार्ड, पैन कार्ड में वादी का नाम भंवरलाल कस्वां पुत्र अर्जुनराम कस्वां अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि वादी का वास्तविक नाम भंवरलाल कस्वां पुत्र अर्जुनराम कस्वां अंकित है तथा राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से भंवरलाल पुत्र अर्जनराम अंकित है दस्तावेजी व राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग नाम होने से वादी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानियां आना स्वभाविक है। वादी रिकॉर्डेड खातेदार होने से से नाम दुरूस्त करवाये जाने का अधिकारी है। उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राज.)

निर्णय

दावा वादी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिकनियम 1955 की धारा 88 को स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1386/27 रोही ग्राम ढाढर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का अंकित नाम भंवरलाल पुत्र अर्जनराम के स्थान पर भंवरलाल कस्वां पुत्र अर्जुनराम कस्वां किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:22 IST
Reason: SelfAttested

भंवरलाल कस्वां बनाम राजस्थान सरकार आदि
53/2026
निर्णय दिनांकः–27.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक : 15.04.2026

वाद पत्र सं. : 53/2026

भंवरलाल कस्वां पुत्र श्री अर्जुनराम कस्वां जाति जाट निवासी ग्राम ढाढर तहसील व जिला चूरू(राज.)

–वादीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
श्री सुरेन्द्र राहड़ वादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिकनियम 1955 की धारा 88 को स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1386/27 रोही ग्राम ढाढर के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का अंकित नाम भंवरलाल पुत्र अर्जनराम के स्थान पर भंवरलाल कस्वां पुत्र अर्जुनराम कस्वां किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:22 IST
Reason: SelfAttested